



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-524/NH-53/MSEDCL/2025-26/ 1858

Date: 16.09.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of CG/MH Border to Wainganga Bridge section from km 405.000 to km 485.000 of NH-53 under BOT project in the State of Maharashtra –
Submission of proposal for 1 no of crossing permission of National Highway by 11KV 185 sqmm UG cable on NH-53 under RDSS MSKVY2.0 scheme under MSEDCL Sakoli Division -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 2477 dated 11.09.2025.
2. EE, O&M Div. MSEDCL, Sakoli letter no. 1281 dated 12.06.2025.

It is to inform all concern that EE, O&M Div. MSEDCL, Sakoli letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that EE, O&M Div. MSEDCL, Sakoli is as follows.

- 1 no of crossing at km 466.540.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

16.09.25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6 Sector-10 Dwarka New Delhi - 110 075



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of
Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-524/NH-53/MSEDCL/2025-26/ 1858

दिनांक: 16.09.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में बीओटी परियोजना के तहत एनएच-53 के किमी 405.000 से किमी 485.000 तक सीजी/एमएच सीमा से वैनगा ब्रिज खंड को चार लेन का बनाना - एमएमईडीसीएल साकोली डिवीजन के तहत आरडीएसएस एमएसकेवीवाई 2.0 योजना के तहत एनएच-53 पर 11 केवी 185 वर्ग मिमी यूजी केबल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की 1 क्रॉसिंग अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 11.09.2025.

2. ईई, ओ एंड एम डिवीजन एमएमईडीसीएल, साकोली पत्र संख्या 1281 दिनांक 12.06.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ईई, ओ एंड एम डिवीजन एमएमईडीसीएल, साकोली ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. कार्यकारी अभियंता, ओ एंड एम डिवीजन एमएमईडीसीएल, साकोली द्वारा प्रस्तावित संरक्षण इस प्रकार है:

- किमी 466.540 पर 1 क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एस एंड आर (आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक अस्वविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(निर्मल एम झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]

2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने के लिए।

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075